संख्या :५५३३(1)/श0वि0/आ0–04–13(बजठ)/2002

प्रेषक,

डा0 एस0एस0 सन्धू,
सचिव,
उत्तरांचल शासन।

सेवा में,

मेलाधिकारी,
अर्द्धकुम्भ मेला–2004
हरिद्वार, उत्तरांचल ।

आवास एवं शहरी विकास अनुभाग देहरादून, दिनांक 18 नवम्बर 2004

विषय :वित्तीय वर्ष 2004–05 अर्द्धकुम्भ मेला–2004 हरिद्वार की व्यवस्थाओं के अन्तर्गत पुरकाजी लक्सर–ज्वालापुर मोटर मार्ग के पुर्ननिर्माण हेतु स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष अवशेष धनराशि की स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक आपके पत्र सं0 1946/एस0टी0/मेला/बजट, दिनांक:29अप्रैल, 2004, की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि पंतद्वीप से मालवीय द्वीप को जोड़ने हेतु सेतु के निर्माण हेतु शासनादेश संख्या–2727/श0वि0–आ0–2002–13(बजट)/2002, दिनांक: 03 अक्टूबर,2002 द्वारा रू0 840.01 लाख की धनराशि की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान करते हुए रू0 100.00लाख एवं शासनादेश संख्या–1708/श0वि0–आ0–2003–13(बजट)/2002, दिनांक: 26 जून,2003 द्वारा रू0 340.00 लाख अर्थात कुल 440.01 लाख की धनराशि उक्त कार्य हेतु अवमुक्त कराने के बाद अवशेष के संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि रू0 400.00 लाख(रू0 चार करोड़ मात्र) की समस्त अवशेष धनराशि के व्यय की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है :–

(1) उक्त धनराशि आपके द्वारा आहरित कर सम्बन्धित कार्यदायी संस्थाओं को बैंक ड्राफ्ट अथवा चैक के माध्यम से उपलब्ध करायी जायेगी । **स्वीकृत की जा रही धनराशि के आहरण से पूर्व उक्त कार्य का आगणन बन्द कर उतनी ही धनराशि का आहरण किया जायेगी, जितनी लागत पर आगणन बन्द किया जायेगा और शेष धनराशि तत्काल शासन को संदर्भित कर दी जायेगी।**

(2) उक्त धनराशि का उपयोग उन्हीं योजनाओं एवं मदों के लिये किया जायेगा जिन योजनाओं एवं मदों के लिये धनराशि स्वीकृत की गयी है। किसी भी दशा में धनराशि का व्ययावर्तन किसी अन्य योजना/मद में नहीं किया जा सकेगा।

(3) स्वीकृत की जा रही धनराशि के आहरण से पूर्व यह अवश्य सुनिश्चित कर लिया जाय कि उक्त अवशेष किश्त की धनराशि इसके पूर्व स्वीकृत कर आहरित नहीं की गई है। यदि कोई दोहरा आहरण होता है तो उसका समस्त दायित्व आहरण वितरण अधिकारी का ही माना जायेगा।

(4) स्वीकृत धनराशि के व्यय अथवा निर्माण करने से पूर्व सभी योजनाओं/कार्यों के सम्बन्धित मानचित्र एवं विस्तृत आगणन गठित कर तकनीक दृष्टिकोण से समस्त औपचारिकतायें पूर्ण करते हुए एवं विशिष्टयों का अनुपालन करते हुए प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त किया जाना आवश्यक होगा।

(5) सम्बन्धित कार्यदायी संस्था द्वारा निर्माण कार्य निर्धारित अवधि के अन्दर पूर्ण किया जाना आवश्यक होगा और किसी भी दशा में पुनरीक्षित आगणनों पर स्वीकृति प्रदान नहीं की जायेगी ।

(6) स्वीकृत कार्य कराते समय वित्तीय हस्तपुस्तिका, बजट मैनुअल, स्टोर परचेज रूल्स एवं मितव्ययिता के सम्बन्ध में शासन द्वारा समय–समय पर निर्गत किये गये शासनादेशों का कड़ाई से अनुपाल सुनिश्चित किया जाये। एक मुश्त प्राविधान के विस्तृत आगणन गठित कर लिये जाये और इन पर यदि किस तकनीक अधिकारी के कार्य कराने से पूर्व का अनुमोदन प्राप्त करना नियमानुसार आवश्यक हो तो कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व उक्त अनुमोदन अवश्य प्राप्त कर लिया जाये।

(7) सभी निर्माण कार्य समय–समय पर गुणवत्ता एवं मानकों के सम्बन्ध में निर्गत शासनादेशों के अनुरूप कराये जायेगें तथा यदि निर्माण कार्य निर्धारित मानकों को पूर्ण नहीं करते है तो सम्बन्धित संस्था को अग्रेत्तर धनराशि उक्त मानकों को पूर्ण करने पर निर्गत की जायेगी।

(8) उक्त स्वीकृत की जा रही धनराशि की प्रतिपूर्ति का प्रस्ताव अविलम्ब भारत सरकार को प्रेषित किया जायेगा।

(9) कार्य कराने से पूर्व स्थल का भली–भांति निरीक्षण उच्चाधिकारियों द्वारा अवश्य करा लिया जाये एवं निरीक्षण के पश्चात स्थल आवश्यकता एवं प्राप्त निर्देशों के अनुरूप कार्य किया जाये।

(10) निर्माण कार्य पर प्रयुक्त की जाने वाली सामग्री का नमूना परीक्षण अवश्य करा लिया जाये, तथा उपयुक्त पायी गयी सामग्री का प्रयोग निर्माण कार्य में किया जाये।

(11) उक्त कार्यो की वित्तीय/भौतिक प्रगति का विवरण राज्य सरकार को एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र भारत सरकार एवं शासन को उपलब्ध करा दिया जायेगा।

(12) कार्यो की समयबद्वता एवं गुणवत्ता हेतु सम्बन्धित विभाग/निर्माण एजेन्सी पूर्ण रूप से उत्तरदायी होगें। कार्य की समयबद्धता हेतु मेलाधिकारी सम्बन्धित निर्माण एजेन्सी से अनुबन्ध कर उन पर पैनाल्टी क्लाज लगाने पर भी विचार कर सकते हैं।

(13) आगणन में उल्लिखित दरों को विश्लेषण विभाग द्वारा मुख्य अभियंता द्वारा स्वीकृत/अनुमोदित दरों को पुनः स्वीकृति हेतु अधीक्षण अभियंता का अनुमोदन आवश्यक होगा।

(14) उपकरणों/सामग्रियों आदि का डी0जी0एस0 एण्ड डी0 की दरों पर अथवा टेण्डर/कोटेशन विषयक नियमों का अनुपालन करते हुए किया जायेगा।

(15) वित्त विभाग के शासनादेश सं0–03–वित्त विभाग/टी0ए0सी0–अनुभाग देहरादून दिनांक 23–10–2003 द्वारा दिये गये निर्देशों का पालन किया जाना सुनिश्चित करें।

2. उक्त के सम्बन्ध में होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2004–05 के आय–व्यय के अनुदान सं0–13–लेखा शीर्षक 2217–शहरी विकास–80–सामान्य–आयोजनागत–800–अन्य– 01–केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना–01–हरिद्वार कुम्भ मेला हेतु अवस्थापना सुविधा–00–20–सहायक अनुदान/अंशदान/राज्य सहायता के नामे डाला जायेगा।

3. यह आदेश वित्त विभाग के अशा0 सं0: 1392 वि0अनु0–3/2003 दि0 02 नवम्बर 2004 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे है।

भवदीय,

(डा0एस0एस0 सन्धू)
सचिव।

संख्या : ५५३३ (I)/श0वि0/आ0–04 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी (प्रथम), लेखा परीक्षा उत्तरांचल, देहरादून ।
2. आयुक्त, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी/कैम्प कार्यालय, देहरादून।
3. जिलाधिकारी, हरिद्वार ।
4. अधीक्षण अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, हरिद्वार।
5. श्री एल0एम0 पन्त, वित्त, बजट अनुभाग।
6. नियोजन प्रकोष्ठ/वित्त अनुभाग–3, उत्तरांचल शासन, देहरादून ।
7. निदेशक, एन0आई0सी0, उत्तरांचल सचिवालय।
7. वरिष्ठ कोषाधिकारी, हरिद्वार।
8. निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तरांचल शासन।
9. गार्ड बुक ।

आज्ञा से,

18/11/04

(डी0के0 गुप्ता)
अपर सचिव।